प्रेस नोट   दिनांक 02.06.2026

थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ व बरामदगी 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद देशी अबैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा गिरफ्तारी 01 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 109 बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट, व गिरफ्तारी सम्बन्धित मु.अ.स. 106/26 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना हलधरपुर जनपद मऊ–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन के कुशल मार्गदर्शन में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबीर खास कि सूचना पर मडैली बढनपुरा गांव के रास्ते से मोटरसाइकिल से वांछित अभियुक्त दानिश उर्फ छोटू पुत्र अल्ताफ निवासी मुस्तफाबाद थाना हलधरपुर जनपद मऊ जाने वाला है, जिसके द्वारा 11 वर्षीय नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना कारित किया गया है तथा इस संबंध में थाना हलधरपुर पर मु0अ0सं0 106/26 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।, मुखबीर खास की इस सूचना पर पुलिस द्वारा मडैली बढनपुरा गेट से बसारिकपुर की तरफ लगभग 500 मीटर दूरी पर रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जबाब में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायर किया गया जिसमें अभियुक्त दानिश पुत्र अल्ताफ निवासी मुस्तफाबाद थाना हलधरपुर जनपद मऊ पैर में गोली लगने से **घायल** हो गया। अभियुक्त के कब्जे से पास 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर,01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा बिना नं0 की मोटर साइकिल बरामद हुआ। मुठभेड़ मे घायल अभियुक्त को उसके द्वारा किये गये कृत्य अंतर्गत धारा 109 बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 106/26 धारा 87/137(2), बीएनएस के अन्तर्गत समय करीब 02:30 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी जोगापुर रतनपुरा भेजा गया। चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु उसे जिला चिकित्सालय मऊ रेफर किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 106/2026 धारा 87, 137(3) बीएनएस थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:–

1. दानिश उर्फ छोटू पुत्र अल्ताफ निवासी मुस्तफाबाद थाना हलधरपुर, जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष

अभियुक्त की गिरफ्तारी का समय व स्थान –

1. दिनांक 02.06.2026 को समय 02.30 बजे मडैली बढनपुरा गेट से बसारिकपुर की तरफ लगभग 500 मीटर थाना क्षेत्र हलधरपुर जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा महिला थाना का औचक निरीक्षण किया गया–

आज दिनांक 02.06.2026 पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा महिला थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई, कार्यालय, सीसीटीएनएस, मिशन शक्ति, अभिलेखों के भंण्डारण, मालखाना, शस्त्रागार तथा हवालात की स्थिति का गहन अवलोकन किया गया।

उन्होंने महिला संबंधित अपराधों, साइबर अपराधों एवं संवेदनशील प्रकरणों में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान बीट पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आमजन के साथ संवाद बढ़ाने तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की भी जांच की गई और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए।

महोदय ने ड्यूटी पर तैनात महिला अरक्षियों को अनुशासन, समयपालन एवं जनसेवा के प्रति संवेदनशील रहने हेतु प्रेरित किया। साथ ही, जनता में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाए रखने के लिए निरंतर गश्त एवं निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ रिक्रुट आरक्षियों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 02.06.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 38 टीम गठित कर जनपद के 45 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 570 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 06 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।